

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

अपील संख्या – 839 / 2011 / जोधपुर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,  
वृत सी, जोधपुर

.....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स पैराडाईज स्टील प्रा०लि०,  
II फेस बासनी, जोधपुर

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एन.एस.राठौड़,

उप राजकीय अधिवक्ता

.....अपीलार्थी की ओर से

श्री राजेन्द्र जैन,  
अभिभाषक।

.....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 19.02.2014

निर्णय

1. अपीलार्थी-विभाग द्वारा ये अपील उपायुक्त (अपील्स) वाणिज्यिक कर विभाग, जोधपुर जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा, के अपील संख्या 24/आरवेट/जेयूसी/10-11 में पारित आदेश दिनांक 27.10.2010 के विरुद्ध पेश की गई है। अपीलीय अधिकारी ने वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत सी, जोधपुर जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा, द्वारा पारित निर्धारण आदेश दिनांक 19.03.2010 के द्वारा प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को आंशिक रूप स्वीकार किया गया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी के कर निर्धारण वर्ष 2006-07 का कर निर्धारण आदेश राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 जिसे आगे "वैट एक्ट" कहा जायेगा, की धारा 25 सपठित केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 जिसे आगे "CST Act" कहा जायेगा, की धारा 9(2) के तहत पारित करते हुए प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत 'सी' फार्म से समर्थित बिक्री पर 0.5 प्रतिशत से कर योग्य मान कर वैट एक्ट की धारा 17(2) के अन्तर्गत रिफण्ड दिया गया था तथा प्रत्यर्थी को बिक्री कर प्रोत्साहन योजना, 1998 जिसे आगे "योजना, 1998" कहा जायेगा, के तहत देय लाभ भी स्वीकार किया गया था। कर निर्धारण अधिकारी ने प्रत्यर्थी द्वारा दमण के व्यवहारी मै० शिवशक्ति इण्ड०, शिव पूजा मेटल वर्क्स, अप्सरा इण्ड०, दमण से प्रेषित सी फार्म को, जांच में विभाग द्वारा जारी नहीं होना पाया तथा उन पर अंकित टिन नम्बर भी गलत पाये। इसलिए कर निर्धारण अधिकारी ने वैट एक्ट की धारा 17(2) के तहत पूर्व में जारी आगत कर का रिफण्ड गलत मानते हुए मिथ्या सी फार्म के कारण अन्तर कर दर 3.5 प्रतिशत तथा रिफण्ड प्रतिदाय तिथि से ब्याज आदेश दिनांक 19.3.2010 में रु० 2,56,580/- आरोपित किये। प्रत्यर्थी व्यवहारी ने

लगातार.....2

अन्तर कर को योजना,1998 के तहत 50 प्रतिशत की सीमा तक समायोजन हेतु कर निर्धारण अधिकारी को वैट अधिनियम की धारा 33 सपठित CST Act की धारा 9(2) संशोधन प्रार्थना पत्र भी दिनांक 26.04.2010 को प्रस्तुत किया गया। जिसे कर निर्धारण अधिकारी ने दिनांक 04.5.2010 के आदेश से निरस्त कर दिया। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध, अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील करने पर अपीलीय अधिकारी ने कर व ब्याज आरोपण की पुष्टि की लेकिन व्यवहारी-प्रत्यर्थी के इस तर्क को उचित माना कि व्यवहारी को योजना,1998 के तहत आलोच्य वर्ष में 50 प्रतिशत कर लाभ स्वीकृत किया जाना चाहिये तथा तदनुसार कर व ब्याज अधिरोपित किये जाने चाहिये। इस आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी-विभाग द्वारा ये अपील पेश की गई हैं।

4. प्रत्यर्थी-व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर समान बिन्दुओं पर माननीय कर बोर्ड की समन्वय पीठ (खण्डपीठ) द्वारा अपील संख्या 840 व 841/2011/जोधपुर निर्णय दिनांक 21.09.2012 को प्रोद्धरित कर, कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी का उक्त प्रकरण भी प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांत से पूर्णतः आच्छादित होने कारण अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।

5. अपीलार्थी-विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता का कथन है कि व्यवहारी प्रत्यर्थी ने फर्जी/बोगस सी फार्म के आधार पर CST Act के तहत रियायती दर का लाभ लिया था इसलिए अन्तर कर पर योजना,1998 का लाभ देय नहीं है। अपीलीय अधिकारी ने योजना,1998 के तहत लाभ 50 प्रतिशत तथा उस पर अनुवर्ती ब्याज की कमी कर प्रकरण प्रतिप्रेषित करना विधिक भूल है अतः अपील स्वीकार किये जाने पर बल दिया।


6. उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया कर निर्धारण अधिकारी ने प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत सी फार्म जो मै0 शिवशक्ति इण्ड0, शिव पूजा मेटल वर्क्स, अप्सरा इण्ड0, दमण द्वारा जारी किये गये थे, की जांच कराये जाने पर विवादित सी फार्म विभाग द्वारा इन व्यवहारियों को जारी नहीं करना पाया तथा उन सी फार्म पर अंकित टिन भी उनके नहीं पाये गये। इस आधार पर कर निर्धारण अधिकारी ने रियायती दर अस्वीकार करते हुए अन्तर कर आरोपित किया तथा वैट एक्ट की धारा 17(2) रिफण्ड प्रतिदाय तिथि से देरी के लिए ब्याज भी आरोपित किया। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा बिक्री कर योजना,1998 के तहत बकाया लाभ दिये जाने हेतु संशोधन प्रार्थना पत्रों को भी कर निर्धारण अधिकारी ने अस्वीकार कर दिया। अपीलीय अधिकारी ने अवैध घोषणा पत्रों के आधार पर आरोपित अन्तर कर को उचित माना लेकिन योजना,1998 के तहत 50 प्रतिशत कर लाभ के समायोजन पश्चात वसूली योग्य कर व इस पर ब्याज को भी उस सीमा तक यथावत रखते हुए प्रकरण प्रतिप्रेषित किया है। प्रत्यर्थी द्वारा अन्तराज्यीय

वाणिज्य व्यवहार में की गई बिक्री पर कोई विवाद नहीं है तथा घोषणा पत्र अस्वीकार किये जाने पर पूर्ण कर दर से विक्रय कर योग्य है लेकिन व्यवहारी को योजना,1998 के तहत जारी वैध प्रमाण पत्र के आधार पर योजना का लाभ अस्वीकार करना विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता। यदि योजना,1998 के तहत प्रत्यर्थी का लाभ अवशेष है तो उस अंश तक आलोच्य अवधि में कर समायोजित किया जाना चाहिये तत्पश्चात वसूली योग्य कर पर नियमानुसार ब्याज आरोपित करना चाहिये। इसलिए अपीलीय अधिकारी ने 50 प्रतिशत लाभ स्वीकृत करने हेतु प्रकरण को प्रतिप्रेषित कर कोई भूल नहीं की है। योजना,1998 के प्रावधानानुसार वैट एक्ट व CST Act के तहत बिक्री पर स्वीकृत सीमा तक लाभ दिया जा सकता है। योजना,1998 के तहत कर मुक्ति प्रमाण पत्र प्रभावी अवधि में बिक्री पर कर लाभ अस्वीकार नहीं किया जा सकता।

7. उक्त विवेचनानुसार प्रत्यर्थी-व्यवहारी आलोच्य अवधि में योजना,1998 के तहत 50 प्रतिशत से कर मुक्ति का हकदार है इसलिए अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित निर्णय पूर्णतया विधिसम्मत होने के कारण उसकी पुष्टि की जाती है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि माननीय कर बोर्ड की समन्वय पीठ (खण्डपीठ) द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी के ही प्रकरणों यथा- अपील संख्या 840 व 841/2011/जोधपुर निर्णय दिनांक 21.09.2012 में समान बिन्दुओं पर विभाग द्वारा प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार किया गया है।

परिणामतः, अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

  
19.2.2014  
( मदन लाल )

सदस्य